अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 36, पोर्ट ब्लेयर, शुक्रवार, 08 जनवरी, 2021

No. 36, Port Blair, Friday, January 08, 2021

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 08 जनवरी, 2021

सं. 36/2021/फा.सं.–42–517/2017–टी.आर. (पी.एफ.).–भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 11.04.1960 की अधिसूचना संख्या 14/3/60–ए.एन.एल. के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस प्रशासन के दिनांक 18.03.2011 की अधिसूचना सं. 92/2011/फा.सं. 42–517/2006–टी.आर.–(2) तथा दिनांक 17/07/2018 की अधिसूचना सं. 259/2018/फा.सं. 42–517/2017 टी.आर.–(पी.एफ.) में आंशिक अशोधन करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद् द्वारा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के नौवहन सेवा निदेशालय की स्थापना में धारित वर्ग 'ग' अराजपत्रित, अलिपिक वर्गीय **वेल्डर** के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात: –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :–**

(i) इन नियमों को "अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन (नौवहन सेवा निदेशालय में वेल्डर) भर्ती नियमावली, 2021" कहा जाएगा ।

(ii) यह नियमावली इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :–**

पदों की संख्या, वर्गीकरण और इससे संबंधित वेतनमान वही होंगे जो इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के पैरा 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और योग्यता :–**

उक्त पद से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएँ तथा अन्य बातें उक्त अनुसूची के पैरा 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

4. **अयोग्यताएँ :–**

कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने :–

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो, जिसका पति/पत्नी जीवित है, या

(ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो,

परन्तु, उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, को यह समाधान हो जाने पर कि ऐसे विवाह उस व्यक्ति को और उस विवाह पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्त्तन से छूट दे सकते हैं ।

5. **ढील देने की शक्ति :–**

उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, तो ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं ।

6. **व्यावृत्ति :–**

इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विनिर्दिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित कराना अपेक्षित है ।

एडमिरल डी.के. जोशी
पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम., वाई.एस.एम., एन.एम., वी.एस.एम. (अ.प्रा.)
उप राज्यपाल,
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./–
सहायक सचिव (नौवहन)

अनुसूची- III

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के नौवहन सेवा निदेशालय की स्थापना में वेल्डर के पद के लिए भर्ती नियमावली

1	पदनाम	वेल्डर
2	पदों की संख्या	15 (पन्द्रह)* (2021) *(कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय)
3	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग', अराजपत्रित, अलिपिक वर्गीय
4	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वेतन मैट्रिक्स का स्तर–2 (रू 19900–63200)
5	चयन पद या गैर–चयन पद	चयन पद
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	पुरूष के लिए 18–33 वर्ष महिला के लिए 18–38 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट दी जाएगी) नोटः आयु सीमा को निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि ही होगी और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिला तथा पनजी उपमण्डल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।
7	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	**अनिवार्य** : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्थान से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण की हो । (ii) किसी भी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) से वेल्डिंग का एक (01) वर्ष का राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो ।

		(iii) भारतीय नौवहन पंजीकार (आई.आर.एस.) द्वारा जारी प्रमाणपत्र धारक हो । **वांछनीय** : किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में गैस तथा आर्क वेल्डिंग का कार्य करने में (03) तीन वर्ष का व्यावसायिक अनुभव प्राप्त किया हो ।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी ?	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 (दो) वर्ष सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा की अवधि को पूरा करने के लिए कम से कम 02 सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना एक पूर्वापेक्षित शर्त है।
10	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	60% पदोन्नति द्वारा तथा 40% सीधी भर्ती द्वारा
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती किए जाने की स्थिति में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है	**पदोन्नति**: वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर–1 मे रु. 18000–56900 में कार्यरत विभाग के मज़दूरों में से जिन्होंने इस ग्रेड में 03 (तीन) वर्षों की नियमित सेवा की हो तथा विभागीय ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण करता हो।
12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसका गठन क्या है ?	**वर्ग "ग" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल है:–** 1. निदेशक, नौवहन सेवा – अध्यक्ष 2. उप निदेशक (नौवहन सेवा) – सदस्य 3. कार्यपालक अभियंता, वर्कशॉप प्रभाग, अ.लो.नि.वि. – सदस्य 4. सहायक मरीन इंजीनियर (समन्वयन प्रकोष्ठ), नौ.से.नि. – सदस्य **वर्ग 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के मामलों पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. निदेशक, नौवहन सेवा – अध्यक्ष 2. उप निदेशक (नौवहन सेवा) – सदस्य 3. कार्यपालक अभियंता, वर्कशॉप प्रभाग, अ.लो.नि.वि. – सदस्य 4. सहायक मरीन इंजीनियर (समन्वयन प्रकोष्ठ), नौ.से.नि. – सदस्य
13	किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए सं.लो.से.आ. से परामर्श किया जाना है	लागू नहीं

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
SECRETARIAT

NOTIFICATION

Port Blair, dated 8th January, 2021

No. 36/2021/F.No.42-517/2017-TR(PF).— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi Notification No.14/3/60-ANL dated 11.04.1960, and in partial modification of this Administration's Notification No. 92/2011/F.No. 42-517/2006-TR-(2) dated 18.03.2011 and No. 259/2018/F.No. 42-517/2017-TR(PF) dated 17.07.2018, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial post of **Welder** in the Directorate of Shipping Services, Andaman & Nicobar Administration, namely:-

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

(i) These Rules may be called the Andaman & Nicobar Administration (Welder in the Directorate of Shipping Services) Recruitment Rules, 2021.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. NUMBER OF POSTS, CLASSIFICATION AND SCALE OF PAY:

The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in paras 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. METHOD OF RECRUITMENT, AGE LIMIT AND QUALIFICATION:

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matter relating to the said post shall be specified in paras 5 to 13 of the said Schedule.

4. DISQUALIFICATION:

No Person—

(a) Who has entered into a contracted marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. POWERS TO RELAX:

Where the Lieutenant Governor (Administrator) Andaman and Nicobar Islands is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these rules with respect of any class or category of persons.

6. SAVINGS:

Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit any other concessions required to be provided for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other specified categories of persons in accordance with the Orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Admiral D.K. Joshi
PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.)
Lieutenant Governor,
Andaman and Nicobar Islands

By order and in the name of the Lieutenant Governor,

Sd./-
Assistant Secretary (Shipping)

SCHEDULE-III

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF WELDER IN THE ESTABLISHMENT OF DIRECTORATE OF SHIPPING SERVICES, ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION

1.	Name of the post	**WELDER**
2.	No. of Post	15 (Fifteen)* (2021) *Subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial
4.	Level in the Pay Matrix	Level-2 (₹19900-63200) in Pay Matrix
5.	Whether Selection post or Non-Selection post?	Selection
6.	Age limit for direct recruitment	18-33 for male 18-38 for female (The upper age limit is relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruit	**Essential:** (i) Secondary School Examination (10th Std.) pass from a recognized Board/Institution. (ii) Should possess one (01) year National Trade Certificate in Welding from a recognized Industrial Training Institute (ITI) (iii) And Certificate issued by the Indian Registrar of Shipping (IRS). **Desirable:** Three (03) years professional experience in Gas and Arc Welding in an Organization of repute.
8.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees ?	Not Applicable
9.	Period of Probation, if any	2 (two) years for direct recruitment. **Note:** Successful completion of the training of at least two weeks duration is a pre-requisite for completion of probation period.
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	60% by promotion and 40% by Direct Recruitment

11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	**Promotion:** From amongst the Mazdoors working in the department in Level-1 Rs. 18000-56900 in the Pay Matrix who have completed 03 years regular service in the grade and qualify the departmental trade test.
12.	If a DPC exists, what is its composition?	**Group 'C' DPC (for considering cases of Promotion) consisting of:** 1. Director of Shipping Services - Chairman 2. Deputy Director (Shipping Services)- Member 3. Executive Engineer, Workshop Division, APWD – Member 4. Assistant Marine Engineer (Co-ordination Cell), DSS - Member **Group 'C' DCC (for considering case of confirmation) consisting of:** 1. Director of Shipping Services - Chairman 2. Deputy Director (Shipping Services) - Member 3. Executive Engineer, Workshop Division, APWD – Member 4. Assistant Marine Engineer (Co-ordination Cell), DSS - Member
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not Applicable

MGPPB—36/Gazette/2021 — 30 Copies. (YSN)